न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 25/2019

आदेश दिनांक 11.12.2019

1.नैनाराम पुत्र भागुराम जाति मेघवाल निवासी चरकडा तहसील नोखा जिला बीकानेर 2. गोपीराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ 3.रामचन्द्र पुत्र चैनाराम जाति नायक निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदारए श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 2.गिरधारी पुत्र चैनाराम 3.गीतादेवी पत्नि बस्तीराम जाति नायक 4.गोपीराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक 5.पदमाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी सांवतसर तहसील श्री डूंगरगढ 6.पप्पूराम पुत्र रावतराम जाति मेघवाल निवासी डेलाना तहसील लूणकनसर 7.फूसाराम पुत्र डूँगरराम जाति नायक निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ 8 .मालाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी नापासर तह. व जिला बीकानेर 9.रेवन्तराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी राजेडू. तहसील श्रीडूंगरगढ 10.रामचन्द्र पुत्र चैंनाराम जाति नायक निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ 11.रामेश्वरी पत्नि हेमाराम जाति नायक निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 12. सीताराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी घट्टू तहसील नोखा 13.सोहनराम पुत्र मालुराम जाति नायक निवासी धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 14. हड़मानाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी बाधनूं तहसील नोखा।

– अप्रार्थीगण–

उपस्थित–

1. श्री नारायण पंवार अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. श्री सुनील कुमार माली अधिवक्ता अप्राथीगर्ण की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में नैनाराम ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1189/1135 तादादी 0.2529 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1190/1135 तादादी 0.3271 वाके रोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। प्रार्थीगण के उक्त खेतो के दक्षिणी व पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 ता 13 का खेत खसरा नम्बर 1136/696 स्थित है । प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1189/1135 तादादी 0.2529 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1190/1135 तादादी 0.3271 वाके रोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ पूर्व में मौके पर एकल थे व इनके पुराने खसरा नम्बर 1135/696 तादादी 0.5800 हैक्टेयर थे। जो बाद विभाजन उपरोक्त प्रकार के खसरान के रूप में विभाजित हो गई। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा वर्णित खसरान भूमि का आपस में विभाजन करा लेने पर खातेदारी तो सही रूप से दर्ज हो गई लेकिन नक्शा अक्स में जो तरमीम राजस्व कर्मचारीयों ने दर्शाई है वो मौके की स्थिति के अनुसार नहीं है। प्रार्थीण का अपने खेत खसरा नम्बर 1189/1135 व 1190/1135 के उतरी तरफ की पश्चिम से पूर्वी तरफ की 100 मीटर की सीमा पर कब्जा है जबकि राजस्व नक्सा एक्स में प्रार्थीगण के खेत की उतरी तरफ की पश्चिम से पूर्वी तरफ की सीमा 73 मीटर पर ही अंकित की गई है। इसी प्रकार प्रार्थीगण का अपने उक्त खेत के पश्चिम तरफ की उतर से दक्षिण सीमा 58 मीटर सीमा पर कब्जा है जबकि राजस्व नक्सा में प्रार्थीगण के खेत की पश्चिम तरफ की उतर से दक्षिण तरफ की सीमा 80 मीटर अंकित की गई है। इसी प्रकार प्रार्थीगण का अपने उक्त खेत के दक्षिण तरफ की पश्चिम से पूर्वी तरफ की 100 मीटर सीमा पर काबिज है जबकि राजस्व

Scanned by CamScanner

नक्सा एक्स में प्रार्थीगण के खेत की दक्षिण तरफ की पश्चिम से पूर्वी तरफ की सीमा 72 मीटर ही अंकित की गई है। राजस्व अक्स की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रार्थना–पत्र है तथा मौके की सही व वास्तविक के अनुसार अलग से नक्शा बनाया गया है जो संलग्न प्रार्थना–पत्र है ।वादगत खेत खसरा नम्बर 1189/1135 व 1190/1135 के पुराना खसरा नम्बर 696 तादादी 4.31 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.1000 हैक्टैयर रोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ। जिसका विभाजन जरिये इन्तकाल संख्या 318 हुआ जिसके नये खसरा नम्बर 1135/696 तादादी 0.5800 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 1136/696 तादादी 3.7300 हैक्टैयर मय गैर मुमकिन रास्ता हुये। जिसका इन्तकाल संख्या 318 की पुश्त के पीछे जो नक्सा अंकित किया गया है वह भी मौके की स्थिति के अनुसार सही किया गया है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों विभाजन तो सही किया है लेकिन राजस्व नक्सा वास्तविक स्थिती के विपरित गलत अंकित किया है।

उपरोक्त बनाये गये नक्शे के अनुसार राजस्व नक्सा अक्स में प्रार्थीगण के नाम तरमीम होना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किए ही नक्शा अक्स को तरमीम कर दिया गया गया जो मौके की स्थिति के अनुसार नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए दिंनाक 5.3.2019 को राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्सा अक्स की नकले निकलवाई तब प्रार्थीगण को पता चला कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1189/1135 व 1190/1135 की गलत सींमा अंकित कर दी है सही व वास्तविक सींमा हेतु संलग्न बनाये गये नक्शा में हरी स्याही से सींमा रेखा खींची गई जो मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार है व लाल स्याही से जो सींगा रेखा खींची गई जो राजस्व नक्सा में गलत सींमा अंकित की गई है। वह अंकित की गई है। संलग्न नक्शा में हरी स्याही से बनाई गई रेखाओं के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के खेतो की सींमा तरमीम करने से किसी भी पक्ष पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा व उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि भी रेकार्ड के अनुसार रहेगी।प्रार्थीगण ने राजस्व नक्शा अक्स में संलग्न बनाये गये नक्शा अनुसार सहमति से संशोधन करवाने का अप्रार्थी संख्या 2 ता 13 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 ता 13 ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की व शुद्धिकरण करवाने से इन्कार कर दिया जिस पर मैंने फिर अप्रार्थी संख्या 1 से भी उक्त नक्शा अक्स की दुरूस्ती बाबत दिंनाक 28.02.2019 को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवो, बिना आदेश के राजस्व नक्सा अक्स में शुद्धिकरण सम्भव नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण वादगत खेत 1189/1135 व 1190/1135 के रिर्कोडेड खातेदार काबिज कृषक है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1189/1135 व 1190/1135 रोही सांवतसर की राजस्व अक्स में सही सींमा को दर्शित नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तीय क्षति हो रही है, जिसकी पूर्ति हर्जाने से भी संभव नहीं है। प्रार्थी उक्त राजस्व नक्शा अक्स में शुद्धिकरण करवाने का अधिकारी है। राजस्व नक्शा अक्स में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1189/1135 तादादी 0.2529 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1190/1135 तादादी 0.3271 वाके रोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व नक्शा अक्स में संलग्न बनाये गये नक्शा के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगणों की तरफ से जबाब पेश हुआ कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1189/1135 तादादी 0.2529 हैक्टयर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1190/1135 तादादी 0.3271 वाके रोही सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व नक्शा के अनुसारदुरूस्त किया जाता है तो उनकी पूर्ण सहमति है । किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

स्टेट की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1189/1135 तादादी 0.2529 हैक्टयर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त

Scanned by CamScanner

खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1190/1135 तादादी 0.3271 वाके रोही सांवतसर तहसील श्री डूंगरगढ के राजस्व नक्सा को संलग्न नक्सा के अनुसार दुरूस्त किया जाता है तो मेरी पूर्ण सहमति है किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ।

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी एवं स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1189/1135 तादादी 0.2529 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1190/1135 तादादी 0.3271 वाके रोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व नक्शा अक्स में संलग्न बनाये गये नक्शा के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार, श्री डूंगरगढ को दिये जाते है । तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करें ।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर न्यायालय की मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ